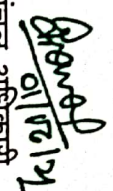


अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-112/16-17
(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अप्युक्ति
	:- आदेश :- इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04 /स0भू0 (दिशा निर्देश)-95 /2016, 2074 /स10 राजस्व, निर्बंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के आदेश झापांक 479 /स10 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजलूआ आम /खास भूमि की संदेहारपद कायम जमाबंदी की जाँच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में मौजा देवीनगर धाना संख्या-118 अनाबादी खाता संख्या-81 दाग संख्या-543 रकबा-02 बीघा 06 कटठा 00 धूर किस्म-पोखर राजस्व पंजी-11 के होलिडिंग संख्या- 224 में कपिलदेव तिवारी ग्राम-देवीनगर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के कायम जमाबंदी विलोपन हेतु प्रारम्भ किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा राजस्व दस्तावेज एवं स्थलीय जाँचोपरान्त अनुशंसित जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा देवीनगर धाना संख्या-118 अनाबादी खाता संख्या-81 दाग संख्या-543 रकबा-02 बीघा 06 कटठा 00 धूर किस्म-पोखर राजस्व पंजी-11 के होलिडिंग संख्या- 224 में कपिलदेव तिवारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि बिना आधार प्रविष्टि एवं साक्ष्य दस्तावेज के राजस्व पंजी-11 में जमाबंदी फर्जी तारिके से जमाबंदी कायम की गई है, जो भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने कब्जा करने का प्रयास है। संबंधित चौकीदार भरत राय के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित जमाबंदी रैयत को इस कार्यालय के झापांक-522 /स10 दिनांक-18.07.2016 से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज समर्पित करने हेतु दिए गए निदेश संदर्भित नोटिश को जमाबंदी रैयत के द्वारा लेने से इंकार किया गया। तथापि इस कार्यालय से निर्गत द्वितीय नोटिश के प्रत्युत्तर में भी पंजी-11 रैयत के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समर्पित जाँच प्रतिवेदन आलोक में मौजा देवीनगर धाना संख्या-118 अनाबादी खाता संख्या-81 दाग संख्या-543 रकबा-02 बीघा 06 कटठा 00 धूर किस्म-पोखर की राजस्व पंजी-11 के होलिडिंग संख्या 224 में कपिलदेव तिवारी ग्राम-देवीनगर के नाम कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृत्यादेश हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी महेशपुर	 अंचल अधिकारी महेशपुर